1,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 50 / 2024 विविध
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार ।। (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांकः– 24.06.2024

1. गोपाल पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी राताखेडा तहसील फागी जिला दूदू हाल निवासी प्लाट नं. 144 रूप नगर द्वितीय महेश मगर जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

बनाम

1 भगवान सहाय पुत्र कल्याण जाति मीणा

2 गोपाल पुत्र कल्याण जाति मीणा

3 भंवर लाल पुत्र कल्याण जाति मीणा

4 रामजीलाल पुत्र कल्याण जाति मीणा

समस्त निवासीवान ग्राम राताखेडा तहसील फागी जिला दूदू।

5 तहसीलदार जी तहसील फागी जिला दूदू।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री दुर्गालाल मेघवंशी वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी किये जाने बाबत्।

निर्णय दिनांकः–24.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 495/4 रकबा 0.8599 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम राताखेडा पटवार हल्का कांसेल, भू०अनि०नि०क्षेत्र मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस में पड़ौसी खातेदार एवं आराजी खसरा नम्बर 495/3 की भूमि वाके ग्राम राताखेडा, पटवार हल्का कांसेल तहसील फागी में स्थित है। जिसका अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 खातेदार काश्तकार है। लेकिन प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 आये दिन हर वर्ष मेर कोर को दबाते चले आ रहे है आये दिन मेर कोर सीमाओं को लेकर लडाई झगड़ा करते रहते है। प्रार्थी की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने अपनी

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक / एलआर / 24 / 1704 दिनांक 02.04.24 की पालना में दिनांक 12.4.2024 पटवारी हल्का कांसेल से सीमाज्ञान करवाया गया एवं सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाओं की अनदेखी करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में हुये सीमाज्ञान दिनांक 12.04.2024 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान चारों भुजाओं की सीमा चिन्ह पत्थर से उक्त खसरा नम्बर के चारों भुजाओं का कायम कर चिन्ह लगवाये गये। मौके पर उपस्थित को निशानात बताकर अवगत कराया गया। उपस्थित के हस्ताक्षर कराये गये। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते हुये एवं प्रार्थी की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है। क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 12.04.2024 एवं आदेश क्रमांक / एलआर / 24 / 1704 दिनांक 02.04.2024 के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 12.04.2024 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते है तथा प्रार्थी से आये दिन लडाई झगडा व मेर कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण के विवाद उत्पन्न करते इस कारण प्रार्थी को पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम हुआ है। तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 12.04.2024 के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 495 / 4 की भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो जावेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान् न्यायालय को उक्त प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 05 बाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 05 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.04.2024 किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम राताखेड़ा में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2069–2072 वाके ग्राम राताखेडा के खाता संख्या 34 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 12.04.2024 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। पटवारी हल्का द्वारा कायम निशानात को अप्रार्थीगण नही मानते तथा संख्याबल मे अधिक होने से मेर कोर को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थी अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 495/4 वाके ग्राम राताखेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडोसी खातेदारान को नोटिस जारी कर पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/6/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू